भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 653

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2025

स्थानीय जनजातियों के लिए परियोजनाएं

653. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री गोडम नागेश:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में, स्थानीय जनजातीय समुदायों के लाभार्थ सरकार द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे, सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) क्या दादरा और नगर हवेली के स्थानीय जनजातीय समुदायों को सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ दादरा और नगर हवेली के स्थानीय जनजातीय समुदायों को मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): सरकार मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति (कार्यनीति) के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित कर रही है। 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ-साथ योजनाएं https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf लिंक में केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफ़ाइल के विवरण 10ख में दी गई हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध डीएपीएसटी निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां शुरू की हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़) है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है। अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के 32 जिलों के 4975 गांवों में 46,94,682 अनुसूचित जनजातियां, मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 11,377 गांवों में 93,23,125 अनुसूचित जनजातियां तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव के 2 जिलों के 76 गांवों में 1,47,290 अनुसूचित जनजातियां को कवर किया जा रहा है।

(ख): मंत्रालय प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें और सम्मेलन आयोजित करता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने वाले अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन करते हैं, जबकि कार्यशालाएं और मंथन शिविर मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं।

मंत्रालय ने सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है और जब आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोले जाते हैं तो समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया जाता है। सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों को इन योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए भी कहा गया है। राज्यों से भी कहा गया है कि वे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें और छात्रों को आधार, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे बुनियादी दस्तावेज तैयार करने में मदद करें ताकि छात्र योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें।

पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, एक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाया गया है, जिसमें लाभार्थी संतृप्ति शिविर और जनजातीय मातृभाषाओं में आईईसी सामग्री का प्रसार शामिल है। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा दी जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से एपीआई के माध्यम से डेटा एकीकृत किया जाता है। यह मजबूत डेटाबेस गांवों और बस्तियों में गंभीर अंतरों की पहचान करके लक्षित उपायों को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी के माध्यम से, जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा

देने के लिए आदि महोत्सव और अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है, प्रदर्शनियों, पोस्टरों, पैम्फलेट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करता है।

(ग) से (घ): दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि दादरा और नगर हवेली जिले के स्थानीय जनजातीय समुदायों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ग्राम सभा, सरकार आपके द्वार शिविर और विशेष शिविरों के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों तक सीधी पहुँच सुनिश्चित करता है। जागरूकता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि दादरा और नगर हवेली के स्थानीय जनजातीय समुदायों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, जिनमें शामिल हैं:

जागरूकता पैदा करना - सरकारी योजनाओं के बारे में जनजातीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित ग्राम सभाएँ आयोजित की जाती हैं। सूचना प्रसारित करने और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आईईसी गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं।

विशेष नामांकन अभियान- संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका कार्यक्रम आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए।

घर-घर जाकर संपर्क- ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों ने दादरा और नगर हवेली जिले की सभी बस्तियों का दौरा किया और घर-घर जाकर नल कनेक्शन सर्वेक्षण तथा पीएमएवाई सर्वेक्षण करके योजना की पहुंच सुनिश्चित की। ये पहलें सुनिश्चित करती हैं कि जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से अधिकतम लाभ मिले।

*****